RAJYA SABHA

Friday, the 14t/i March, 1986/23 *Phalguna,* 1907 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: Before we take up today's agenda, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri K. K. Shah, a former Member and distinguished Leader of the House.

Shri K. K. Shah was born at Goregaon in District Kolaba of Maharash tra in October, 1908 and had his edu cation at Gujarat College and New Poona College. Shri Shah started his career as a teacher in a Bombay High School and later on entered the legel profession and became a leading ad vocate of Bombay. Shri Shah took ac tive part in the national movement in 1930 and was under detention in 1932. He was again arrested and detained in 1942 for participating in the Quit India Movement. Shri Shah was ins trumental in the merger of the Princely State of Baroda with the erstwhile Bombay Presidency. He was elected to the Bombay Legislative Assembly in 1952 and was elected to the Rajya Sabha first in April 1960 and re-Tected in 1966. Shri Shah was inductato the Union Cabinet in 1967 and held several portfolios with distinction. Shri Shah became Leader of this House in November 1969 and on his assuming the office of the Governor of Tamil Nadu in 197±. Shri Shah resigned his seat in tb<s. House in May 1971. Actived lively ShriShah won •,: *a*ud affection of all sections of the louse.We deeply mourn the passing awayso rise in their places ana silence as a mark of respect to the memory of the departed.

[Hon. *Members then stood in silence for one minute.]*

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गृह-निर्माण हेतु राज सहायता

*281. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए गृह-निर्माण के लिए कोई राजसहायता प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) तथा (ख) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के परिवारों को संरचना बनाने के लिए ब्याज की रियायती दर पर 5000 रुपये के ऋण के साथ साथ स्थल तथा सेवाएं लागत मूल्यों पर दी जाती है ।

भूमिहीन कामगारों के लिए ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता के रूप के अन्तर्गत, आवास स्थल मुफ्त दिए जाते हैं तथा निर्माण सहायता के रूप में प्रति परिवार 2000 रुपये की राशि दी जाती है ।

अतः सहायता की मात्रा दोनों ही योजनाओं में अन्तर्निहित है ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: सभापति जी, रिहायशी मकानों की समस्या दिन-

प्रतिदिन बड़ी जटिल होती जा रही है । शहर हो या गांव हो, गरीब वर्ग के लोगों को किराये पर मकान मिलना या बनाना, यह दोनों कठिन हो गया है ।

सरकार कहीं-कहीं पर भूखंडों का आवंटन जरूरी करती है, परन्तु जो राशि मकान बनाने के लिये सहायता के रूप में दी जाती है, वह इतनी कम है कि उससे एक कमरे का मकान बना कर रहना बहुत कठिन है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि देश में आज गांव हो या शहर हो, उनमें गंदी बस्तियों का फैलाव बढ़ता जा रहा है और गंदी बस्तियां देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति का निर्माण कर रही है ।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर उन्होंने दिया है कि शहरी क्षेत्रों में रियायती दर पर 5 हजार रुपये वह सस्ते ब्याज की दर पर मकान बनाने के लिए देते हैं, क्या पांच हजार रुपये से सरकारी एजेंसियां या हाउसिंग बोर्ड हो या डी.डी.ए. हो, जो भी संस्थाए हैं, क्या पांच हजार रुपये में एक कमरे का मकान भी बनाया जा सकता है ? अगर पांच हजार की सहायता से या ऋण में एक कमरे का मकान भी नहीं बन सकता, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि अगर एक कमरे का मकान भी नहीं बन सकता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में सरकार इस ऋण देने वाली राशि को या सहायता को जो उसने दो हजार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मंजूरी दी हुई है, स्वीकृत कर रखा है, उसमें कोई बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है ?

श्री दलबीर सिंह : सर, हमारे पास दो तरह की योजनाएं हैं, एक अर्बन एरियाज के लिए और दूसरी रूरल एरियाज के लिए । सिक्सथ फाइव इयर प्लान में अर्बन एरियाज के लिए जिनकी मासिक आमदनी रु. 300 थी, उसको बढ़ा कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में रु. 700 कर दिया गया है और जो पहले तीन हजार इनको कांस्ट्रक्शन कास्ट दिया जाता था अब उसको बढ़ा कर पांच हजार रुपये कर दिया है, और जो माननीय सदस्य ने कहा है, इसी तरह से यदि वीकर सैक्शन के जो लोग हैं, हमारे पास हाउसेज जो बने हुए हैं, जो बने हुए हैं, उनकी जो कास्ट है कांस्ट्रक्शन का कास्ट 15 हजार है । गवर्नमेंट उनको ऋण के रूप में 13,500 रुपये देगी। जिसका इन्टरेस्ट सात परसेंट है और यह 22 वर्ष में उनको री-पे करना होगा और जैसा माननीय सदस्य ने रूरल एरियाज के लिए कहा तो उसके लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे पास 577 करोड़ रुपये का प्रावधान है उसमें साइट डिवैलपमेंट के लिए 36 करोड़ रुपये रखे गए हैं । 541 करोड़ रुपये कन्स्ट्रक्शन के लिए रखे गए हैं और प्रति फैमिली 500 रुपये जो साइट सर्विसेज हैं उनके लिए और 2 हजार रुपये कन्स्ट्रक्शन कास्ट रखे गए हैं ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल: माननीय सभापति जी, इस प्रश्न के दूसरे भाग में यह कहा गया है कि ग्रामीण आवास के लिए दो हजार रुपये की राशि भूमिहीन कामगारों के लिए सरकार सहायता के रूप में देती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में भूमिहीन कामगारों को आवास योजना के अंतर्गत कितने मकान बनाकर विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों ने दिए हैं और जो मकान दिए गए हैं इन भूमिहीन कामगारों के लिए उसमें क्या मानवीय सुविधाएं सब प्रकार की उपलब्ध हैं जैसे सड़कें, पानी, प्रकाश, सफाई आदि और उनमें रहने के लिए कितने लोग अभी तक पहुंच चुके हैं?

श्री दलबीर सिंह: सर, माननीय सदस्य का जो कहना है, यह तो रिस्पैक्टिव स्टेट्स जहां से उनको दो हजार रुपया दिया जाता है, लेकिन जितना कास्ट आता है वह राज्य शासन का उत्तरदायित्व है कि वह सारा प्रावधान पेश करे । जो दो साल का माननीय सदस्य ने कहा है तो यदि माननीय सदस्य आंकड़े चाहते हैं तो मैं उनको बराबर दूंगा ।

श्री राम चन्द्र विकल : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा

कि जो योजना अभी आपने बताई सातवीं पंचवर्षीय योजना में 15 हजार के बजाय 13 हजार रुपये गरीबों को रियायत देंगे या जो आर्थिक सहायता दे रहे हैं अभी आपने कहा कि राज्य सरकार भी उसमें शरीक है, तो मैं जानना चाहूंगा कि राज्य सरकारों से मिलकर क्या केन्द्रीय सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है ताकि गरीबों को रहने के लिए ज्यादा मकान मिल सकें? बजाय कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को कहे और केन्द्रीय सरकार सरकार राज्य सरकार को कहे, तो क्या राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार मिल करके गरीबों को अधिक मकान नहीं दे सकती ? मैं यह भी चाहूंगा कि क्या कोई राज्यवार सूची आपके पास है जो कि गरीबों को मकान दिए जा चुके हैं? मकान दिए जाने की सूची मैं नहीं पूछना चाहता लेकिन जो दिए जा चुके हैं, यदि ऐसी कोई राज्यवार सूची हो तो वह भी बता दें?

श्री दलबीर सिंह: सर, हमारे पास राज्यवार सूची है। यदि माननीय सदस्य कहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं लेकिन इसमें समय लगेगा। जैसा कि आप ने कहा, राज्यवार आंकड़े आपको दे रहा हूं लेकिन आपने जो कहा कि राज्य केन्द्र शासन को भेजते हैं या नहीं तो यह स्टेट सब्जैक्ट है। जो यहां पर आवश्यकता समझती है भेजती है और यहां से गाइडलाइन्ज जाती है। केन्द्र शासन का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वीकर सैक्शन्ज के लिए ज्यादा से ज्यादा 80 प्रतिशत से ज्यादा वहां पर मकान बनाने होंगे। इसके लिए भी बराबर स्टेट गवर्नमेंटस को निर्देशित करते हैं।

श्री वी. सत्यनारायण रेड्डी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो वीकर सैक्शन्ज हैं, जो कमजोर तबके हैं उनको 13 हजार रुपये सहायता दी जा रही है, मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे कमजोर तबके के लोग जिनको आप मकान बनाने के लिए सहायता दे रहे हैं और जिनको मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत है, और जमीन या प्लाट्स वगैरह उनको दे रहे हैं तो क्या यह तमाम योजना जो आपने बनाई है इनको सहायता देने के लिए सही मायनों में जो डिजर्विंग हैं जिनको वास्तव में मकान चाहिए और प्लाट चाहिए क्या उनको ही यह सब कुछ दिया जा रहा है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिजर्विंग हैं उनको यह सहायता नहीं मिल रही है और दूसरे लोगों के हाथ में जा रही है ? तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है ?

श्री सभापति : क्वेश्चन प्लीज।

श्री वी. सत्यनारायण रेड्डी : क्या ऐसी कोई योजना है जिससे कि जो डिजर्विंग कमजोर तबके के लोग हैं उन्हीं को ये मकान और जगह मिले? अगर किसी दूसरे के हाथ में जाता है तो सरकार उसको वापस भी ले लें, क्या ऐसी कोई योजना है या उसे बनाने वाले हैं ?

श्री दलबीर सिंह : सर, जो वीकर सैक्शन्ज हैं उनके आंकड़े भी हैं। जहां तक रूरल एरियाज का सवाल है हमारे ब्लाक डिवैलपमेंट्स हैं, वहां पर वे उसका बराबर सर्वे करते हैं कि 700 से कम जिनकी आमदनी है उनको ही वीकर सैक्शन्ज में लिया जाए और उन्हीं वर्गों को इसमें शामिल किया जाता है। माननीय सदस्य ने जो कहा कि इन वीकर सैक्शन्ज को फायदा नहीं होता ऐसा नहीं है हम बराबर इसमें ध्यान रखते हैं खासकर जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको ही यह राशि दी जाती है और उनको ही लाभ पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं।

श्री रामानन्द यादव : मान्यवर, देहात में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोग अधिकांश हरिजन हैं, उनकी बस्तियां गांव के एक ओर हुआ करती हैं और बड़ी गंदी होती हैं और इतने दिनों में कांग्रेस सरकार ने उनके लिए बहुत प्रयास किया, उनमें शिक्षा का प्रचार किया, उनके घर बनाने के लिए जमीन का आवण्टन कर दिया, लेकिन उनके आवास पूरे स्तर पर आज तक नहीं बन सके। अभी

योजना में सबसिडी देने के लिए मंत्री जी ने यह बताया कि 2400 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे रूरल एरिया में वीकर-सेक्सन को घर बनाने के लिए । तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यह 2400/- रुपये का अनुदान जो आप देने जा रहे हैं, यह बहुत ही कम है, इसकी बढ़ोतरी की जायगी और निश्चित सीमा से नीचे आने वाले लोगों का जो आपने सीमांकन किया है, उसमें अधिक लोगों को इन्क्लूड करेंगे क्योंकि आज भी हरिजन तबके के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, वे वीकर-सेक्सन में आते हैं, उनकी बड़ी दयनीय हालत है और इस पैसे में वे मकान नहीं बना सकेंगे, अगर कांट्रेक्टर को भी आप देंगे, तो वह भी इस पैसे में से खा जाता है . . .

MR. CHAIRMAN: Two minutes over.

श्री रामानन्द यादव : तो क्या सरकार इसको बढ़ोतरी करेगी ।

श्री दलबीर सिंह : महोदय, केन्द्र सरकार की भी योजना है । हमारे पास कम्पोनेंट प्लैन है, जो हमारे हरिजन भाई हैं, उनके लिए प्लैन है । माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसमें मैं सहमत हूं । हमारा भी बराबर यहां ध्यान रहता है कि जो फण्ड एलोकेट हो उसका सही उपयोग हो । यह कंपोनेंट प्लैन बनाए गए हैं स्टेटवाइज और स्टेट भी देखता है कि कहां पर हमारा खर्च ज्यादा हो रहा है, कहां पर कम हो रहा है और खासकर के पिछड़े हुए क्षेत्रों में जो वहां का रामेटेरियल होता है, उसी का उपयोग करते हैं और जो हम अपनी असिस्टेन्स देते हैं, वह बराबर उसका लाभ उनको मिलता है ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir. is the scheme that the Minister announced extendable to backward States like Jammu and Kashmir and north-eastern States and- if so, have the State Governments been informed about it and has response came from them?

MR. CHAIRMAN: Does it apply to backward States like Jammu and Kashmir and north-eastern States and, if so, have the States been intimated about this scheme?

श्री दलबीर सिंह : सर, अवश्य उसके लिए हम कर रहे हैं ।

MR. CHAIRMAN: Next question.

Stoppage of production in the Bharat Refractories Limited

*282. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that production has recently been stopped in the Bharat Refractories Limited;

(b) if so what are the reasons therefor; and

(c) whether some units of Bharat Refractories Limited have been transferred to the head office?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The administriative control of the Nongstoin Sillimanite Mines located in Meghalaya has been transferred to the Head Office since September, 1984, for effective control and better utilisation of sillimanite.

डॉ. बापू कालदाते : सभापति महोदय, यह बात कहां तक सही है कि जब आपने स्थानान्तरण का प्रस्ताव किया, उस समय वहां के लोगों ने, कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया । अगर विरोध किया हो तो क्यों किया था और क्या इसी कारण उन्होंने कुछ यूनिट बंद रखने का भी प्रयास किया था ? यह बात कहां तक सही है ?

श्री के. सी. पंत : सभापति जी, मेरे पास इस नोट में कोई पत्र या कोई इस तरह की सूचना नहीं है, जो कि कर्मचारियों की ओर से इसका विरोध रहा हो। यह जरूर है कि कर्मचारियों की ओर से, मैंने सुना कि यह कहा गया कि यहां सिलिमिनाइट